कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सैशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(फोन एवं फैक्सः 0291–2545850; ई–मेल आई0डी0: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा./PLV–विज्ञप्ति/2017/01 दिनांकः 14 OCT 2017

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–3/रालसा/पी.एल.वी./DS-II/19062–19096 दिनांक 05.09.2017 व एफ–3/रालसा/पी.एल.वी./DS-II/23364–23394 दिनांक 03.10.2017 के निर्देशानुसार जिला एवं तालुका स्तर पर जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु निम्नानुसार पैरा लीगल वॉलिण्टियर्स के पदों पर बाद प्रशिक्षण चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला	:	27
तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी	:	30
तालुका विधिक सेवा समिति, बिलाड़ा	:	25
तालुका विधिक सेवा समिति, ओसियां	:	25
तालुका विधिक सेवा समिति, पीपाड़	:	25
तालुका विधिक सेवा समिति, बालेसर	:	25

1. **शैक्षणिक योग्यताः** आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी होनी चाहिए।
2. **आवेदन पत्रः** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
3. **परीक्षाः** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।
4. **चरित्रः** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।
6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावें:**
   - जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
   - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
   - आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
   - जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
7. **आवेदन की अंतिम तिथिः** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला अथवा तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर के कार्यालय में दिनांक 31.10.2017 को सांय 05.00 बजे तक ही प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

पात्रताः

निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. हेतु आवेदन कर सकते हैं:– सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र/छात्राएं व विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों), गैर राजनीतिक दलों के सदस्य, सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो। पी.एल.वी.

चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनु.जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. <u>चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी):</u>

- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- पी.एल.वी. द्वारा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराय गये मेटीरियल का प्रचार व प्रसार करना।

9. **वर्तमान में जो प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित/चयनित पी.एल.वी. जोधपुर जिला मुख्यालय/तालुका फलौदी/बिलाड़ा/ओसियां/ पीपाड़/बालेसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं जारी रखने के इच्छुक हैं, वे भी निर्धारित प्रारूप में नवीन आवेदन करें। अर्थात् नये आवेदन पत्र भरने अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ पूर्व में प्राप्त पी.एल.वी. प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।**

10. <u>साक्षात्कार:</u> जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को पी.एल.वी. के साक्षात्कार की तिथि व स्थान की सूचना उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित की जायेगी तथा यह सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/jodhpur पर भी उपलब्ध करवाई जायेगी।

11. <u>स्पष्टीकरण:</u> यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है। आवेदक कहां पर अर्थात् जिला स्तर पर या जिस तालुका स्तर पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है, उस स्थान का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट:– 01. आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला, तालुका विधिक सेवा समिति–फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/jodhpur से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

02. आवेदनकर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला अथवा सम्बंधित तालुका विधिक सेवा समिति–फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़, बालेसर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला

अभयर्थी का
हस्ताक्षरयुक्त
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता / पति का नाम : ....

3. विवाहित / अविवाहित : ....
(विवाहित होने की स्थिति में पति / पत्नि का नाम लिखें)

4. जाति : ....

5. संवर्ग – सामान्य / अनुसूचित जाति / : ....
अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें)

6. स्थाई पता मय दूरभाष / मोबाईल नम्बर : ....
/ ई–मेल आई.डी. ....
....

7. वर्तमान पता : ....
....

8. निकटतम पुलिस स्टेशन : ....

9. जन्म तिथि (अंकों में) : ....
(शब्दों में) : ....
वर्तमान आयु (दिनांक 01.10.2017 को) : ....

10. शैक्षणिक योग्यता : ....

11. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, : ....
तो किस पद से सेवानिवृत हुए

12. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण : ....
लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण

दिनांक

(हस्ताक्षर आवेदक)